


लोक सूचना अपीलीय प्राधिकारी (जिला कलक्टर) चित्तौड़गढ़ (राज.)  
 श्री राजेन्द्र सुखवाल निवासी बून्दी रोड़, चित्तौड़गढ़  
 बनाम  
 लोक सूचना अधिकारी एवं उप वन संरक्षक, चित्तौड़गढ़  
 किरम प्रकरण अपील सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005  
 प्रकरण संख्या 75/2021

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
08/06/21	<p>सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत अपीलार्थी श्री राजेन्द्र सुखवाल निवासी बून्दी रोड़, चित्तौड़गढ़ द्वारा सूचना प्राप्त हेतु एक आवेदन दिनांक 01.04.2021 को लोक सूचना अधिकारी एवं उप वन संरक्षक, चित्तौड़गढ़ को प्रस्तुत किया जिस पर लोक सूचना अधिकारी एवं उप वन संरक्षक, चित्तौड़गढ़ द्वारा अपीलार्थी को सूचना उपलब्ध नहीं कराने से अपीलार्थी द्वारा यह अपील इस कार्यालय को प्रस्तुत की गई है।</p> <p>यहां यह उल्लेखनीय है कि यह कार्यालय लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) का प्रथम अपीलीय प्राधिकारी होकर लोक सूचना अधिकारी/सहायक लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत निर्धारित अवधि में सूचना उपलब्ध नहीं कराने पर ही अपील ग्रहण करता है। अपील के साथ संलग्न सूचना का अधिकार के तहत प्रस्तुत आवेदन के अवलोकन से स्पष्ट है कि उक्त आवेदन लोक सूचना अधिकारी, कार्यालय फोरेस्ट विभाग, चित्तौड़गढ़ को सम्बोधित है एवं चाही गई सूचनाएं भी वन भूमि से संबंधित है जो कि वन विभाग का विषय है। लोक सूचना अधिकारी एवं उप वन संरक्षक, चित्तौड़गढ़ के विरुद्ध प्रस्तुत अपील पर इस कार्यालय द्वारा सुनवाई की सक्षमता/क्षेत्राधिकार नहीं है। अतः अपीलार्थी को संबंधित अपीलीय प्राधिकारी (मुख्य वन संरक्षक, उदयपुर) के यहां अपील प्रस्तुत करने के परामर्श के साथ अपील निस्तारित की जाती है। निर्णय की प्रति संबंधित को प्रेषित की जावे।</p> <p style="text-align: right;">               (तारा चन्द मीणा)              लोक सूचना अपीलीय प्राधिकारी              जिला कलक्टर              चित्तौड़गढ़ (राज.)         </p>	